

CP-2
30.1.15

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.No. / 2015

Subodh Kumar Rai ... **Petitioner**

Versus

The State of Bihar through the Deputy Chief
Election Officer-cum- Deputy Secretary to
Government, Cabinet (Election) Department, Bihar,
Patna and others ... **Respondents**

Subject: Trade and Commerce

INDEX

1. Writ application with affidavit. 1- 16
2. Annexure-1: A copy of said guideline dated 7.3.2014
3. Annexure-2: A copy of said letter dated 14.3.2014
4. Annexure-3 series: Copies of released order receipts
5. Annexure-4 series: A copy of said Receipt dated 21/22.5.2014
6. Annexure-5 series: A copy of said letter dated 25.6.2014
7. Annexure-6 series: A copy of said representation dated 1.9.2014
8. Annexure-7 series: A copy of said representation dated 1.10.2014
9. Vakalatnama.

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)**

C.W.J.C.No. / 2015

Subodh Kumar Rai ... **Petitioner**

Versus

The State of Bihar through the Deputy Chief
Election Officer-cum- Deputy Secretary to
Government, Cabinet (Election) Department, Bihar,
Patna and others ... **Respondents**

Synopsis

Prayer: That this is an application for issuance of an appropriate writ, order or direction particularly in the nature of writ of mandamus commanding upon the concerned Respondents to pay the compensation of the vehicle (Bus) of the petitioner bearing Registration Number BR-10P-8832 which was used by the State Government in Lok Sabha Election 2014 for the period 29.3.2014 to 15.5.2014 and Bus bearing number BR-10P-2031 which was used by the State Government in Lok Sabha Election 2014 for the period 4.4.2014 to 25.4.2014. And for the grant other relief or reliefs which the petitioner is entitled with interest for delayed payment

Facts of this Case:

- Para-4: Petitioner is the owner of Bus Nos. BR-10P-8832 and BR-10P-2031.
- 7.3.14: Government issued guideline providing procedure for requisition of vehicle for the election purpose (Annexure-1)
- 14.3.14: Transport department fixed the rate of vehicle to be requisitioned by the authority for election purpose (Annexure-2)
- 27.3.14: Petitioner's vehicles ~~were~~^{were} requisitioned by Bhagalpur administration for election purpose.
- Para-11: Aforesaid vehicles ~~was~~^{were} moved in different district and all the districts have issued release order receipt (Annexure-3 series)
- 21/22.5.14: Petitioner submitted original Log Books before District Election Officer - cum - District Magistrate, Bhagalpur who is requisitioning authority (Annexure-4 series)
- 25.6.14: Authority issued letter directing to submit log books to other district where the vehicle was used in election (Anexure-5 series)
- 1.9.14: Petitioner submitted original Log Books to District Magistrate, Nalanda and District Magistrate, Jamui (Annexure-6 series)

1.10.14: Petitioner filed representation before the Deputy Chief Election Officer - cum - Deputy Secretary to the Government through registered post for making payment of compensation of vehicle (Annexure-7 series)

Since the respondents have not paid the compensation of the vehicle used in the election after completing all the formalities, hence this writ application for redressal of genuine and valid grievance after no alternative and effective remedy left.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.No.

/ 2015

In the matter of an
application under
Article 226 of the
Constitution of India,

And

In the matter of ;

Subodh Kumar Rai, Son of Sri Bhagwan Rai,
Resident of Village- English Farka, P.O and P.S-
Sabour, District- Bhagalpur.

... **PETITIONER**

Versus

1. The State of Bihar through the Deputy Chief
Election Officer-cum- Deputy Secretary to
Government, Cabinet (Election) Department,
Bihar, Patna.

2. The District Magistrate-cum- District Election Officer, Bhagalpur.
3. District Magistrate-cum- District Election Officer, Nawada.
4. District Magistrate-cum- District Election Officer, Nalanda.
5. District Magistrate-cum- District Election Officer, Kishanganj.
6. District Magistrate-cum- District Election Officer, Madhepura.
7. District Magistrate-cum- District Election Officer, Muzaffarpur.
8. District Magistrate-cum-District Election Officer, Jamui.

... **RESPONDENTS**

To

The Hon'ble Mr Justice L.Narsimha Reddy, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and his companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition
on behalf of the

Petitioner above
named.

Most Respectfully Sheweth:-

1. That this is an application for issuance of an appropriate writ, order or direction particularly in the nature of writ of mandamus commanding upon the concerned Respondents to pay the compensation of two vehicles (Bus) of the petitioner bearing Registration Number BR-10P-8832 and BR-10P-2031 which were used by the State Government in Lok Sabha Election 2014 for the period 29.3.2014 to 15.5.2014 and 4.4.2014 to 25.4.2014. And further grant other relief or reliefs which the petitioner is entitled with interest for delayed payment.
2. That petitioner has not moved earlier before this Hon'ble Court for the relief sought for in this writ application.

3. That the important points of law involved in the writ application are as follows:-
- (i) Whether the respondents are bound to make payment of compensation of the vehicles to the petitioner?
 - (ii) Whether the respondent must pay the compensation of their admitted amount, which is fixed by the State Government?
 - (iii) Whether the action of the Respondents for non payment of compensation of the vehicles is arbitrary and malafide?
 - (iv) Whether non payment of admitted compensation of the vehicles is otherwise bad and illegal?
4. That the petitioner is citizen of India and is residing well within the territorial jurisdiction of this Hon'ble High Court and carries on transport business and by means of Stage Carriage permits in public highway.

5. That the petitioner is registered owner of the vehicles (Bus) bearing Registration No. BR-10P- 8832 of 2012 model having seating capacity of 41 and BR-10P-2031 of 2008 model having seating capacity of 33 registered with the District Transport Officer, Bhagalpur and all relevant papers of the aforesaid vehicles (BR- 10P-8832 and BR-10P-2031) are up to date.
6. That in term of Section 161 of the Representation of the peoples Act, 1950, a vehicle can be requisition for the purpose of election duty according to rate prevailing in the area at the time of requisition.
7. That for the purpose of Parliamentary Election 2014, a guideline was issued by the Transport Department, Government of Bihar by memo no 1/ Sam. Nirva- 73/2010/1477 dated 7.3.2014 in which indicated that procedure have been fixed for requisition of various type of vehicles

and payment of compensation of the vehicles.

A copy of said guideline dated 7.3.2014 is annexed herewith and marked as **Annexure-1** to this petition.

8. That it is sated that the Transport Department, Government of Bihar has fixed the rate of all types of the vehicles, which will be used in Lok Sabha Election 2014, issued by memo no 1885 dated 14.3.2014 and communicated to all the Divisional Commissioners/ All District Election Officer-cum- District Magistrate/ All Superintendent of Police and all the District Transport Officers.

A copy of said letter dated 14.3.2014 is annexed herewith and

marked as **Annexure-2** to
this petition.

9. That the brief fact of the case is that petitioner's vehicle (Bus) No BR-10P-8832 was requisitioned by the Bhagalpur Administration in the morning on 27.03.2014 for the purpose of Parliamentary Election 2014, thereafter District Vehicle Cell, Bhagalpur opened Logbook no 31 and then said vehicle was handed over to Central Force for election duty.

Likewise the petitioner's another vehicle (Bus) No BR-10P-2031 was also requisitioned by the Bhagalpur Administration in the morning of 4.4.2014 for the purpose of Parliamentary Election 2014, thereafter District Vehicle Cell, Bhagalpur opened logbook and handed over the aforesaid vehicle to Central force for election duty.

10. That thereafter petitioner's both vehicles i.e BR-10P- 8832 and BR-10P-2031 were used

in several Districts in Bihar for movement of Central Force i.e Nawada, Nalanda, Kishanganj, Madhepura, Muzffarpur and Jamui and every Districts have been issued log books.

11. That for the purpose of Election Duty, the said vehicles of the Petitioner ^{were} ~~was~~ used in different districts for certain period and released the vehicles by the concerning Districts and finally aforesaid vehicles were released, detail of which are given below:-

Bus No BR-10P- ⁸⁸³² ~~6494~~ (released on 14.5.2014)

| District | Period | Log book No | Days | Advance Payment |
|------------|-------------------------------|----------------|------|--------------------|
| Bhagalpur | 29.3. 2014 to 4.4.2014 | 05 | 7 | Rs 8000/- |
| Nawada | 06.04. 2014 to 11.4. 2014 | 440 | 6 | Rs 6000/- |
| Nalanda | 12.04. 2014 to 17.04. 2014 | 9 | 6 | Rs 9600/- |
| Kishanganj | 19.4. 2014 to 24.4. 2014 | 804 | 6 | Rs 10000/- |
| Madhepura | 25.4. 2014 to 31.04. 2014 | 10/14 | 7 | Rs 12000/- |

| | | | | |
|-------------|-----------------------------|----------------|----|---------------|
| Muzaffarpur | 01.5. 2014 to 13.5. 2014 | 2/14 & 15/3 | 12 | Rs 15600/- |
|-------------|-----------------------------|----------------|----|---------------|

Bus No BR-10P- 2031(released on 25.4.2014)

| District | Period | Log book No | Days | Advance Payment |
|-----------|-------------------------------|----------------|------|--------------------|
| Bhagalpur | 4.4.2014 to 5.4.2014 | | 2 | Rs 1500/- |
| Jamui | 07.04. 2014 to 17.4. 2014 | 179/25 | 11 | Rs 4000/- |
| Bhagalpur | 18.04. 2014 to 25.04. 2014 | 58/18 | 8 | Rs 6000/- |

Copies of released order receipts are annexed herewith and marked as **Annexure-3 series** to this petition.

12. That it is relevant to state here that vehicle in question ^{were}~~was~~ in the custody of the Governments for the purpose of Parliamentary (Lok Sabha) Election duty and from time to time concerned districts make some payment as advance, supplied fuel for

movement of the vehicle and the same were endorsed in the log Book.

13. That after completing the election work, Petitioner deposit all the original log Books relating to the aforesaid vehicles before the District Election Officer-cum-District Magistrate, Bhagalpur who is requisitioning on 21.5.21014 which was received and issued receipt on 22.5.2014. Petitioner also requested to pay the compensation of the vehicle after deducting the advance money.

A copy of said Receipt dated 21/22.5.2014 is annexed herewith and marked as **Annexure-4** to this petition.

14. That from letter no 544 dated 25.6.2014 issued to the petitioner by the Nodel Officer, District Vehicle Cell-cum-District Transport Officer, Bhagalpur, it

transpire that in order to conduct General Election 2014 vehicles are transferred to other district from Bhagalpur district , the vehicle send to the other district is require to open Log Book and make payment of compensation. In this context the guideline for General Election 2014 has been issued by Principal Secretary vide memo no 1477 dated 7.3.2014 (Annexure-1). Any district requisitioning a vehicle sent another district for election work and payment of compensation is required to made by the said district.

It has been further directed that to submit the Log Book to concerned district i.e Nalanda District and Jamui District and ensure deposit the Log Book in vehicle Cell, so that payment be made from that district for which original Log Book of Nalanda District and Jamui district has been return to you.

A copy of said letter dated 25.6.2014 is annexed herewith and marked as **Annexure-5** ~~relates~~ to this petition.

15. That after receiving the said letter (Annexure-5) Petitioner immediately send the original Log Book of Nalanda District with petition relating to Bus No BR-10P-8832 to the District Election Officer-cum-District Magistrate, Nalanda (Respondent no 4) and original Log Book of Jamui District with petition relating to Bus No BR-10P-2031 to the District Election Officer-cum-District Magistrate, Jamui (Respondent no 8) by registered post on 01.09.2014 in view of said direction (Annexure-5) and requested therein to pay the compensation of the vehicles which ~~was~~^{were} used in Lok Sabha Election 2014 in your district. Copy of the

same has also been communicated to the District Election Officer, Bhagalpur.

A copy of said representation dated 1.9.2014 is annexed herewith and marked as **Annexure-6 series** to this petition.

16. That the Respondent no 3 to 8 have not yet been taken for making payment of such compensation to the petitioner, than petitioner send a representation to the Deputy Chief Election Officer-cum- Deputy Secretary to the Government (Respondent no1) by registered post on 01.10.2014 requested therein to direct the concerned District for making payment of compensation of the vehicles, copy of the same also communicated to all concerned districts i.e Respondent no 2 to 8.

A copy of said representation dated

1.10.2014 is annexed herewith and marked as **Annexure-7 series** to this petition.

17. That it is stated that no full payment has yet been made by the Respondents to the petitioner in spite of repeated request by the petitioner, as the sufficient delay has been caused.
18. That it is also stated that in a similar matter of one Manoj Kumar Sharma's case , the Hon'ble High Court by order dated 11.5.2009 passed in C.W.J.C.no 10302 of 2006 direct the respective District Magistrate to complete all verification and ensure all payment to the petitioner within a period of fifteen days from the date of filing of the order before respective District Magistrate - cum - Collectors. Failure to ensure full and final payments within the said period would force the court to take a serious view of

the matter and initiate proceeding of contempt.

19. That it is also relevant to state here that another identical matter of relating to payment of Assembly Election of Bihar 2005, the Hon'ble High Court by order dated 3.9.2012 passed in C.W.J.C.No 15999 of 2012 disposed of the writ application with a direction to concerned respondent that respondent for payment of amount of bill of the petitioner, to examine his bill in the light of work done by him and ensure release of admissible amount of the bill of the petitioner positively within three months from the date of receipt/ production of a copy of the order, if necessary, by arranging fund for the same, failing which the said respondent shall be liable to pay an interest on the amount, at the rate of 12% compoundable yearly, from his own pocket.

20. That in view of the aforesaid decision passed by the Hon'ble High Court, petitioner is also entitled for payment of compensation of the vehicle with interest over the delayed payment.

21. That in the aforesaid facts and circumstances, petitioner has no efficacious and alternative ^mreedy than to move this Hon'ble Court in writ jurisdiction.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this writ application, issue rule NISI, calling upon the respondents to show cause as to why the reliefs sought for in para-1 of the writ application be not allowed and on return of the writ or the rule and causes as may be shown make the same absolute and allow the writ application on pass

such order or orders as your
Lordships may deem fit and
proper,

and/or

may pass such order or orders as
your Lordships may deem fit and
proper,

And for this the Petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Subodh Kumar Rai, aged about-48 years, Son of Sri Bhagwan Rai, Resident of village-English Farka, P.O and P.S- Sabour, District-Bhagalpur, do hereby solemnly affirm and states as follows:-

1. That I am Petitioner in this case as such I am well acquainted with the facts and circumstances of this case.
2. That the contents of this writ application have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same and say that the statements made in paragraphs nos 2,4,5,6,12,17,18,19 and 21.....of this application are true to the best of my knowledge and those stated in paragraphs nos 7,8,9,10,11,13,14,15 and 16.....of this petition are true to my information derived from the records of this case and rest are by way of humble submissions before this Hon'ble Court.
3. That the annexures are true photo/ type copies of its respective originals.

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

मार्गदर्शिका

आम निर्वाचन के सफल एवं सुचारु रूप से संचालन हेतु चुनाव कार्य से जुड़े पदाधिकारियों/कर्मचारियों, चुनाव सम्बन्धी सुरक्षा कर्मियों आदि के सुगम आवागमन हेतु बड़ी संख्या में वाहनों के अधिग्रहण की आवश्यकता होती है। इन वाहनों के अधिग्रहण, इनका सदुपयोग, इनके मुआवजा राशि का भुगतान एवं वाहनों की विमुक्ति नियमानुकूल एवं यथा समय किये जाने की आवश्यकता होती है। अधिग्रहित वाहनों के मुआवजा भुगतान अथवा समय पर वाहनों की विमुक्ति नहीं होने के कारण राज्य सरकार के विरुद्ध वाद भी दाखिल होने के स्थिति उत्पन्न हो जाया करती है। अतः ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना न हो इस उद्देश्य से इस मार्गदर्शिका को तैयार कर तदनुसार कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

निर्वाचन के अवसर पर विभिन्न कोटि के वाहनों के अधिग्रहण एवं मुआवजा भुगतान के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है।

1. वाहनों की आवश्यकता का आकलन :-

निर्वाचन के अवसर पर विभिन्न प्रकार के वाहनों की आवश्यकता का भलीभांति आकलन कर जिला निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा वाहनों की आवश्यकता के अनुरूप ही अधिग्रहण किया जाएगा।

2. वाहन कोषांग का गठन :-

निर्वाचन के अवसर पर प्रत्येक जिले में वाहन के अधिग्रहण, लॉगबुक एवं वाहन पंजी के संधारण, वाहन की विमुक्ति आदेश, मुआवजा भुगतान आदि के लिए वाहन कोषांग का गठन किया जाएगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन के पूर्व वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी एवं कर्मचारी को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। निर्वाचन कार्य हेतु अधिग्रहित वाहनों के मुआवजा का भुगतान जबतक पूर्ण नहीं हो जाता, तबतक जिला वाहन कोषांग को आवश्यक स्टाफ के साथ कार्यरत रखा जाएगा।

3. पंजियों का संधारण :-

प्रत्येक वाहन कोषांग में निम्नलिखित पंजियाँ अनिवार्य रूप से संधारित की जाएँगी। यदि किसी जिले में एक से अधिक स्थान पर अधिगृहित वाहनों का संचालन किया जा रहा हो एवं जिसके अनुरूप एक से अधिक स्थान पर वाहन कोषांग कार्यरत हो तो ऐसे सभी केन्द्रों पर पंजियाँ अनिवार्य रूप से संधारित की जाएगी।

(i) वाहन अधिग्रहण पंजी :- इस पंजी में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त प्रत्येक अधिगृहित वाहन के अधिगृहित होने, किसी नए जिले में स्थानान्तरित किये जाने, विमुक्त होने की तिथि एवं देय मुआवजे की राशि अंकित की जाएगी। यह पंजी प्रपत्र-1 में संधारित की जाएगी।

(ii) वाहन का लॉग बुक :- प्रत्येक वाहन के लिए एक लॉगबुक खोली जाएगी, जिनमें अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचनायें अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी :-

- (क) वाहन की निबंधन संख्या
- (ख) वाहन मालिक का नाम
- (ग) चालक का नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या एवं पता
- (घ) अधिग्रहण की तिथि
- (ङ) समय-समय पर दिये गये ईंधनादि का विवरण
- (च) अग्रिम राशि का विवरण
- (छ) गाड़ी परिचालन का विवरण
- (ज) वाहन के मुआवजा भुगतान की राशि की गणना
- (झ) अंतिम भुगतान की राशि।

4. अधिग्रहण संबंधी सूचना वेबसाईट पर डालना :-

अधिगृहित वाहनों के संबंध में यथासंभव अधिग्रहण तिथि को ही एवं अधिक से अधिक अगले दिन तक वाहन अधिग्रहण पंजी में प्रपत्र-1 में अंकित सूचनाएं निर्वाचन टिम्पन के वेबसाईट <http://ceobihar.nic.in> पर डाल दी जाय।

इस वेबसाईट को प्रत्येक दिन अद्यतन किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक जिला में निर्वाचन के समय वाहन कोषांग के गठन के साथ ही अलग से एक कंप्यूटर वेंडर की नियुक्ति की जाए तथा वेंडर को सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु पदाधिकारियों/कर्मचारियों की एक टीम गठित की जाए। वेंडर को साफ्टवेयर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से उपलब्ध कराया जाएगा।

5. सत्यापन पदाधिकारी :-

(i) लॉगबुक एवं वाहन पंजी को सत्यापित करने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / मोटरयान निरीक्षक अथवा किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी को सत्यापन पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाएगा।

(ii) अधिगृहित वाहनों के नंबर प्लेट के पास वाहन के ड्राइवर को खड़ाकर इस तरह फोटो लिया जाए की वाहन की निबंधन संख्या तथा ड्राइवर का चेहरा साफ दिखाई दें। इसका प्रिंट आउट निकाल कर भी संधारित किया जाएगा।

6. वाहन विमुक्ति की प्रक्रिया :-

(i) सामान्यतः अधिगृहित वाहन या तो अधिगृहित होने वाले जिले में ही विमुक्त कर दिया जाता है अथवा चुनाव कार्य के लिए अन्य जिलों में अधिगृहित जिलों से ही भेजा जाता है। दोनों परिस्थितियों में प्रत्येक वाहन की विमुक्ति के समय निम्नलिखित प्रक्रिया पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

(क) प्रत्येक संबंधित वाहन के वाहन स्वामी अथवा चालक को एक विमुक्ति कूपन निर्गत किया जाएगा। विमुक्ति कूपन प्रपत्र-2 में निर्गत किया जाएगा। इस कूपन में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त संबंधित जिलों में वाहन के कुल अधिगृहित दिनों की संख्या, कुल देय मुंआवजा राशि एवं मुआबजा राशि किस पदाधिकारी से प्राप्त किया जाना है, अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी।

(ख) वाहन पंजी में भी विमुक्ति कूपन में अंकित विवरणी के अनुरूप ही सत्यापन पदाधिकारी / नोडल पदाधिकारी द्वारा प्रविष्टि की जाएगी।

(ग) यह संभव है कि कतिपय मामलों में अधिगृहित वाहन स्वामी को कुछ अग्रिम की राशि दी गई हो, ऐसी परिस्थिति में विमुक्ति कूपन में कुल देय राशि में से अग्रिम राशि घटाकर शेष भूगतेय राशि को अंकित किया जाएगा।

(घ) वाहनों के लॉगबुक में सत्यापन पदाधिकारी द्वारा निम्नलिखित सूचनाएं अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी :-

(a) वाहन विमुक्ति अथवा किसी अन्य जिले में स्थानांतरित किये जाने की तिथि।

(b) विमुक्ति कूपन सं० और विमुक्त किये जाने के अनुसार संबंधित जिले से वाहन स्वामी को कुल देय राशि।

7. वाहन विमुक्ति के उपरांत अन्य प्रयोजन से अन्य क्षेत्राधिकार में अगर उक्त वाहन को पुनः अधिग्रहित किया जाता है तो समरूप प्रक्रिया उसी लॉगबुक में जारी रहेगी और द्वितीय जिला द्वारा अन्त में उपर्युक्त विमुक्ति कूपन दिया जाएगा।

8. वाहनों के तिथि विशेष के पूर्वाहन एवं अपराहन में अधिग्रहण होने पर क्रमशः पूरे एवं आधे दिन का मुआवजा निर्धारित दर पर अनुमान्य किया जाएगा।

9. मुआवजे का भुगतान :-

(i) अधिग्रहित निजी वाहनों को संबंधित जिला द्वारा साप्ताहिक भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

(ii) वाहन के अधिग्रहण के उपरांत वाहन चालक को जिला स्तर से दिये जाने वाले लॉग बुक में भुगतान प्रक्रिया संबंधी जानकारी स्पष्ट एवं विस्तृत रूप से अंकित की जानी चाहिए। इस हेतु इस मार्गनिर्देशिका के मुआवजा भुगतान संबंधी अंश लॉगबुक के पृष्ठ भाग पर मुद्रित करा दिया जाए।

(iii) अधिग्रहित वाहनों की संपूर्ण मुआवजा राशि का भुगतान विमुक्ति के समय किया जाएगा। किसी विशेष परिस्थितिवश संपूर्ण मुआवजा राशि का भुगतान न हो पाने की स्थिति में वाहन स्वामी द्वारा लॉगबुक समर्पित कर देने पर निर्वाचन समापन के एक माह के अन्दर मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जायेगा। यह कार्रवाई निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार पूरी की जायेगी :-

(क) सभी संबंधित जिलों द्वारा आम सूचना के माध्यम से सभी वाहन स्वामी, जिनका वाहन निर्वाचन के दौरान अधिग्रहित किया गया था, की भुगतान प्राप्त करने हेतु एक तिथि, समय एवं स्थान निर्धारित करते हुए सूचित किया जायेगा। आम सूचना में यह सूचित किया जाएगा कि संबंधित वाहन स्वामी विमुक्ति कूपन के साथ ही उपस्थित होंगे।

(ख) निर्धारित तिथि को संबंधित वाहन स्वामी द्वारा विमुक्ति कूपन उपलब्ध कराये जाने पर उन्हें विमुक्ति कूपन के अनुसार राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ग) भुगतान किये गये कुल राशि की प्रविष्टि वाहन पंजी मे करते हुए राशि प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर भी वाहन पंजी में प्राप्त किया जाएगा।

(घ) सभी प्राप्त विमुक्ति कूपन अलग से सुरक्षित रखे जायेंगे एवं इन्हें एक रजिस्टर के रूप में बाईंड कराकर संधारित किया जाएगा।

(iv) किसी एक जिला में अधिग्रहित किन्तु विभिन्न जिलों में उपयोग में लाये गये वाहनों के मुआवजा राशि का भुगतान की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-

(क) प्रत्येक संबंधित जिला उनके यहां प्रयुक्त समय के लिए वाहनों के मुआवजा भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ख) किसी जिला में अधिगृहित वाहन को यदि दूसरे जिला में निर्वाचन कार्य से भेजा जाता है तो यथासंभव उक्त वाहन का पूर्णरूपेण मुआवजा भुगतान करने के बाद उक्त जिला में जाने हेतु ईंधन की आपूर्ति करेंगे तथा उक्त जिला को प्रतिवेदित करते हुए विमुक्ति पत्र पर अंकित कर देंगे। पुनः नया जिला इसी प्रक्रिया को अपनायेगा। यदि किसी कारणवश पूर्ण मुआवजा राशि का भुगतान विमुक्ति के समय संभव नहीं हो तो विमुक्ति प्रमाण पत्र पर वाहन उपयोग की गणना कर संपूर्ण भुगतेय राशि को अंकित कर दिया जाए, जैसा कि प्रपत्र-11 में दर्शाया गया है।


10. वाहनों के अधिग्रहण एवं भुगतान की संपूर्ण विवरणी, पंजी, प्रपत्रों के संधारण को पूर्णरूपेण कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। इससे पारदर्शिता के साथ-साथ अधिगृहित वाहनों के संबंध में डाटा एवं भुगतान की स्थिति सुगम रूप में उपलब्ध रहेगी।

11. अंकेक्षण कार्य हेतु लॉग बुक, वाहन पंजी निर्वाचन तथा विमुक्ति कूपन समापन के उपरान्त संभाल कर रखी जायेगी।

12. चुनाव पश्चात् वाहन कोषांग द्वारा वांछित कार्रवाई :-


प्रत्येक जिला के वाहन कोषांग की यह जिम्मेवारी होगी कि उस जिला में मूल रूप से अधिगृहित अथवा अन्य जिला से प्राप्त/जिला में आये हुए वाहन, जिनके एक दिन के भी भुगतान की जिम्मेदारी उस जिला की हो, की प्रविष्टि वाहनों की सूची में की जाए तथा यह अंकित किया जाये कि उस वाहन को कितने दिनों के लिए भुगतान उस जिला द्वारा किया जाना है, कितने दिनों के लिए तथा कितनी राशि का भुगतान किया गया था तथा कितनी राशि का भुगतान शेष है। सभी वाहनों के लिए इसप्रकार अवशेष भुगतान की वाहनवार विवरणी तैयार की जाये ताकि सभी वाहनों को देय भुगतान को योग कर जिला द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि, अर्थात् जिला की इस मद में कुल देनदारी, का आकलन कर यह सूची वाहन कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी के रूप में समर्पित की जाये। इसकी विवरणी यथास्थिति निर्वाचन विभाग एवं गृह (विशेष) विभाग को भी उपलब्ध कराई जाए। यह कार्रवाई संपन्न किये बिना वाहन कोषांग का कार्य पूर्ण नहीं माना जाये। इसमें किसी भी चूक या शिथिलता के लिए वाहन कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी/कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाये।

- 13. निर्वाचन के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के स्तर से समय-समय पर निर्गत आदेश भी इस संबंध में प्रभावी होंगे।
- 14. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का संलग्न झापांक 3535 दिनांक 24.06.2013 इस मार्गदर्शिका का अंग समझा जाए।


 प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
 बिहार, पटना।

झापांक-1/सम0निर्वा0-73/2010 1477 दिनांक-07/03/2014

प्रतिलिपि :- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना / राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
 बिहार, पटना।

ANNEXURE- 2

-25-

जिलाधिकारी, भागलपुर
समाहरणालय गोपनीय शाखा
ई-मेल

प्राप्ति की तिथि 14-03-2014

OCR No. 880

पृष्ठांकित विभाग ELECTION

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-01/निर्वा0-07-01/2014

मदम

जिलाधिकारी

प्रेषक,

निर्वाचन
महत्वपूर्ण
फैक्स/ई-मेल
स्पीडपोस्ट

आर० के० महाजन,
प्रधान सचिव-सह-
राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।
सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-
जिला पदाधिकारी।
सभी आरक्षी अधीक्षक
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी

पटना, दिनांक- मार्च 2014

विषय:-

लोकसभा आम चुनाव, 2014 के अवसर पर अधिगृहित विभिन्न प्रकार के वाहनों के मुआवजे राशि का निर्धारण के संबंध में।

संदर्भ:-

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लोकसभा आम चुनाव, 2014 के अवसर पर अधिगृहित विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिये देय दैनिक मुआवजे राशि का दर निम्नवत् निर्धारित की जाती

| क्र.सं. | वाहन का प्रकार | दैनिक मुआवजा का दर (रु० में) |
|---------|---|------------------------------|
| 1 | बस (50 एवं अधिक बैठान क्षमता) | 2200.00 |
| 2 | बस (40 से 49 सीट) | 2000.00 |
| 3 | मिनी बस (23 से 39 सीट) | 1500.00 |
| 4 | मैक्सी/सीटी राईड/विंगर/टेम्पो ट्रैवलर एवं समकक्षीय (14 से 22 सीट) | 1200.00 |
| 5 | छोटी कार (सामान्य) | 650.00 |
| 6 | छोटी कार (वातानुकूलित) | 750.00 |
| 7 | ट्रेकर/जीप/कमांडर/जिप्सी एवं समकक्षीय यान | 650.00 |
| 8 | बोलरो/सुमो/मार्शल (सामान्य) | 700.00 |
| 9 | बोलरो/सुमो/मार्शल(वातानुकूलित) | 800.00 |
| 10 | जाइलो/स्कारपियो/क्वालिस/टवेरा/इनोवा/सफारी(वातानुकूलित) | 1200.00 |
| 11 | विक्रम/एस मैजिक/मिनीडोर/ओमनी/फॉर्स/मेटाडोर एवं समकक्षीय वाहन | 550.00 |
| 12 | ऑटो रिक्शा | 400.00 |
| 13 | मोटर साइकिल | 200.00 |
| 14 | भारी मालवाहक | |
| (क) | सकलयान भार 12000-16200 कि०ग्रा० (छःचक्का यान) | 1500.00 |
| (ख) | सकलयान भार 16201-25000 कि०ग्रा० (दस चक्का यान/डम्पर) | 1900.00 |

| | | |
|-----|--|---------|
| (ग) | सकलयान भार 25001 कि०ग्रा० एवं उसके अधिक (दस घक्का से अधिक यान) | 2000.00 |
| 15 | मध्यम मालवाहक/मिनी ट्रक सकलयान भार (7501-11999 कि.ग्रा.) | 1100.00 |
| 16 | हल्का मालवाहक | |
| (क) | सकलयान भार 3000 कि०ग्रा० तक | 550.00 |
| (ख) | सकलयान भार 3001-7500 कि०ग्रा० डिलीवरी भान / समकक्षीय | 900.00 |
| 17 | ट्रैक्टर- ट्रेलर | 650.00 |

- (i) मुआवजे की उपर्युक्त दर वाहन के ईंधन के अतिरिक्त देय होगी ।
- (ii) वाहनों के तिथि विशेष के पूर्वाहन एवं अपराहन में अधिग्रहण होने पर क्रमशः पूरे एवं आधे दिन का मुआवजा निर्धारित दर पर अनुमान्य किया जायेगा ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

प्रधान सचिव-सह-
राज्य परिवहन आयुक्त
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या- 1643

/पटना, दिनांक-

13 मार्च 2014

प्रतिलिपि: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह- प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आया सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव-सह-
राज्य परिवहन आयुक्त
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मिगल्स रोड), बिहार, पटना-800015

निर्वाचन
अत्यावश्यक

फैक्स/ई-मेल

ज्ञाप संख्या :- डी०१-००७/२०१४- 1885

पटना, दिनांक 14 मार्च, 2014 ई०।

प्रतिलिपि :- सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सोहन कुमार ठाकुर)
संयुक्त सचिव

-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञाप संख्या 649 / दिनांक 18.3.2014

प्रतिलिपि:- निवेदानुसार नौसेना पदाधिकारी वाहन कोषांग
भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

उपनिर्वाचन पदाधिकारी
भागलपुर

01

लॉगबुक का नमूना

C.P.M.F.

जिला - श्री गंगानगर
लोक सभा आम चुनाव-2014

सुरक्षित हस्तक्षर

C.P.M.F.

लॉगबुक संख्या- 34

1. वाहन का किस्म बस (सार्क/पीसी)
2. निबंधन संख्या BR10P-8832 बैठक क्षमता 41 (संख्या/मीटर)
3. चालक का नाम श्री कबीर सिंह
एवं पूरा पता श. गढ़ + प. मजौरा, गा. - कानाही (कमंडा), मजौरा
मो.नं. 9661755734
4. वाहन मालिक का नाम श्री कबीर सिंह
एवं पूरा पता श. गढ़ + प. मजौरा (कमंडा), गा. - कानाही, मजौरा
मो.नं. 9431296150
5. चालक की अनुज्ञापि संख्या 125072/97
6. अधिग्रहण की तिथि 29/3/2014
समय 9:00 पूर्वाहन/अपराहन
7. वाहन विमुक्ति की तिथि.....
समय..... पूर्वाहन/अपराहन


नोडल पदाधिकारी/सहायक नोडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर
वाहन कोषांग, पटना।

(Signature)

- अति आवश्यक :
1. कार्य समाप्ति के बाद पदाधिकारी, वाहन तथा इससे संबंधित लॉगबुक अद्यतन प्रविष्टियों के साथ वाहन कोषांग में अचूक रूप से जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
 2. वाहन प्रयोग करने वाले पदाधिकारी कर्म-प्रतिष्ठा पर सुस्पष्ट अक्षरों में पूर्ण नाम, पदनाम, यात्रा का प्रयोजन, स्थान एवं तय की गई दूरी अंक और अक्षरों में अंकित करेंगे।
- नोट :- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में निर्वाचन कार्य से संबंधित व्यवसायिक वाहनों, इस लॉगबुक के नमूने के अनुरूप, पीले रंग का; विधि व्यवस्था कार्य से संबंधित व्यवसायिक वाहनों हेतु लाल रंग का; राज्य पुलिस बल से संबंधित व्यवसायिक वाहनों के लिए हल्के हरे रंग का एवं निर्वाचन कार्य से संबंधित सरकारी वाहनों के लिए उजले रंग का अलग-अलग लॉगबुक प्रकाशित करायेंगे।

जिला-नवादा लोक सभा आम चुनाव-2014

- 1. वाहन का किस्म BUS
- 2. निबंधन संख्या BR-10P-8882 बैठक क्षमता 39 41 42
- 3. चालक का नाम रंजित रंजन
एवं पूरा पता भागलपुर मो. नं. 9661755734
- 4. वाहन मालिक का नाम हनुमंत राय
एवं पूरा पता भागलपुर मो. नं. 9491236148
- 5. चालक की अनुज्ञप्ति संख्या DL-129072/97/NL
- 6. अधिग्रहण की तिथि 6/4/2014 समय 11.25AM पूर्वाहन / अपरा
- 7. वाहन विमुक्ति की तिथि 11/4/14 समय 11.25AM पूर्वाहन / अपरा


 मो. नं. 9661755734
 पदाधिकारी / सहायक निडल पदाधिक
 का हस्ताक्षर
 वाहन कोषांग, नवादा।

अति आवश्यक 1. कार्य समाप्ति के बाद पदाधिकारी, वाहन तथा इससे सम्बन्धित
 अद्यतन प्रविष्टियों के साथ वाहन कोषांग में अचूक रूप से वापस
 सुनिश्चित करेंगे।
 2. वाहन प्रयोग करने वाले पदाधिकारी द्वारा वाहन कोषांग में
 पूर्ण नाम, पता, मो. नं. प्रयोजन, रक्षण एवं वाहन कोषांग में अचूक
 अक्षरों में अंकित करेंगे।

11/4/14
 8/6
 11/4/14

लौग बुक नं० - 9

Central Police Force, Hingoli.

नालन्दा जिला

लोक सभा चुनाव 2014

CPMF

809/D

अधिगृहित मोटर वाहनों

का

लौग बुक

2014

वाहन सं०-BR10P/8832 प्रकार Bus 40

नोट :- पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण तालिका सही ढंग से भरें।

Received
12/01/14

प्रपत्र-11

(वाहन विमुक्ति प्रमाणपत्र का प्रारूप)

किशनगंज

प्रमाण पत्र सं :-

नं 804

संख्या BR 10 P / 8832

1. वाहन मालिक का नाम : सुबोध राम

2. वाहन का पता : रंजीत शेन (वाजसपट्ट)

3. वाहन का प्रकार : 19. 4. 14 6.00 PM.

4. वाहन की तिथि एवं समय : 24. 4. 14 7.00 PM

(क) मुक्त जिला के लिए स्थानांतरण की तिथि एवं समय : 24. 4. 14

(ख) स्थानांतरण किये जाने वाले जिले का नाम : मधेपुरा

6. मुआवजा का दर : 2000/-

7. कुल मुआवजा राशि : 10000/-

8. मुआवजा की गयी अधिकतम मुआवजा की राशि : 5000/-

9. शेष मुआवजा कुल मुआवजा राशि : 5000/-

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त लोक सभा निर्वाचन 2014 के क्रम में निर्वाचन/संविधानसभा कार्य के प्रयोजनार्थ जिला में दिनांक 19. 4. 14 से दिनांक 24. 4. 14 तक कुल 05 दिन (पाँच) दिनों तक अधिकतम देखा गया है। उक्त वाहन के लिये यथा उपर्युक्त शेष मुआवजा राशि का मुगतान जिला दफ्तर के कार्यालय से यह विमुक्ति प्रमाण पत्र उपस्थापित करने पर ही वाहन को जी.समाचार पत्रों के माध्यम से संचालित की जाएगी, वाहन स्वामी अथवा अन्य कोई व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा।

AC

प्रभारी पदाधिकारी

प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदनाम
प्र०-ठाकुरगंज(किशनगंज)

मधेपुरा

लोक सभा आम चुनाव-2014

कर्म पुस्तिका संख्या :- 10/2014

[Empty rectangular box]

1. वाहन का किस्म वाहन
2. निबंधन संख्या B.R.10P/8832 वेतक संख्या 411218
3. चालक का नाम रंजीत रंजीत एवं पूरा पता 96617557
4. वाहन मालिक का नाम राजेश कुमार एवं पूरा पता 94312961
5. चालक की अनुज्ञप्ति संख्या D.L. 1290 72/97/NL
6. अधिग्रहण की तिथि 25.4.14
7. वाहन विमुक्ति की तिथि समय 2.30

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
 नोडल पदाधिकारी, सभापति नोडल पदाधिकारी
 मरलागिज
 का हस्ताक्षर वाहन कर्मचारी, मधेपुरा

अति-आवश्यक : 1. कर्म समाप्ति के बाद पदाधिकारी, वाहन तथा दृश्य संबंधित लोकसुख अद्यतन प्रविष्टियों के साथ वाहन कर्मचारी में अपुत्र रूप से जमा कराया सुनिश्चित करेंगे।
 2. वाहन प्रयोग करने वाले पदाधिकारी कर्म-पुस्तिका का सुरक्षित अक्षरों में सुरक्षित जमा, परलाम, सात्रा का प्रयोग, ल्याज एवं तब की गई हुई अंक और अक्षरों में अंकित करेंगे।

प्रपत्र-II

(वाहन विमुक्ति प्रमाण पत्र)

जिला का नाम : मधेपुरा

प्रमाण-पत्र सं०- 04

दिनांक - 01-05-2014

- 1. वाहन का निबंधन संख्या : BR-10P
8832
- 2. वाहन मालिक का नाम पता : शुभोदय शर्मा, मधेपुरा
- 3. चालक का नाम-पता : रंजित कुमार मधेपुरा
- 4. अधिग्रहण की तिथि व समय : 25.04.2014
- 5. (क) विमुक्ति की तिथि व समय : 01.05.2014
- (ख) अन्य जिला के लिए स्थानांतरण की तिथि व समय : 01.05.2014
- (ग) स्थानांतरित किए जानेवाले जिले का नाम : मधेपुरा
- 6. मुआवजा का दर : 2100/- प्रतिदिन
- 7. कुल मुआवजा राशि : 12000/- (9126 घंटा) रु. मात्र
- 8. भुगतान की गयी अग्रिम मुआवजा की राशि : 12000/- (9126 घंटा) रु. मात्र
- 9. शेष भुगतान कुल मुआवजा राशि : —

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त वाहन लोक सभा आम निर्वाचन-2014 के क्रम में निर्वाचन-विधि व्यवस्था कार्य के प्रयोजनार्थ जिला मधेपुरा में दिनांक 25-04-14 से दिनांक 31-5-14 तक कुल 06 (छह) दिनों तक अधिग्रहित रखा गया है। उक्त वाहन के लिए यथा उपयुक्त शेष मुआवजा राशि का भुगतान जिला दण्डाधिकारी — के कार्यालय से यह विमुक्ति प्रमाण-पत्र उपस्थित करने पर पूर्व निर्धारित तिथि को, जो समाचार पत्रों के माध्यम से संसूचित की जाएगी, वाहन स्वामी अथवा उनके विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा।

for —
 प्रखण्ड विकास प्रशासिकारी
 प्राधिकृत पदाधिकारी
 मधेपुरा (मधेपुरा)
 का हस्ताक्षर व पदनाम

प्रपत्र II
(वाहन विमुक्ति प्रमाण पत्र)
जिला मुजफ्फरपुर।

प्रमाण पत्र संख्या 02/2014-15.

दिनांक

01. वाहन का निबंधन संख्या BR-10P/8332

02. वाहन मालिक का नाम सुनील कुमार

03. नाम/पता मण्डिया

04. चालक का नाम/पता राजेश कुमार मण्डिया

05. अधिगृहन की तिथि 1-5-2014

06. विमुक्ति की तिथि 8-5-2014

07. अन्य जिला के लिए स्थानान्तरण की तिथि - 8-5-14

08. स्थानान्तरण किये जाने वाले जिला का नाम - मुस्ता हिलेगुडिया


09. मुआवजा का दर 2000000

10. कुल मुआवजा की राशि 14000000

11. भुगतान की गई अग्रिम मुआवजा की राशि 9600000

12. शेष भुगतान कुल मुआवजा राशि 4400000

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त वाहन लोक सभा आम निर्वाचन 2014 के क्रम में निर्वाचन विधि व्यवस्था कार्य के प्ररियोजनार्थ जिला मुस्ता हिलेगुडिया में दिनांक 01-5-2014 से दिनांक 7-5-2014 तक कुल 7 (सात) दिनों तक अधिग्रहित रखा गया है उक्त वाहन के लिए तथा उपर्युक्त शेष मुआवजा राशि का भुगतान जिला दाण्डाधिकारी मण्डिया के कार्यालय से यह विमुक्ति प्रमाण पत्र उपस्थित करने पर पूर्व निर्धारित तिथि को जो सामाचार पत्रों के माध्यम से संसूचित कि जायेगी। वाहन स्वामी अथवा उनके विधिवत प्रधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा।


सहायक निर्वाची पदाधिकारी, -सह-
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
औरई, मुजफ्फरपुर।

संख्या में,

श्री मान दिवंगत पदाधिकारी (उप जिला

पदाधिकारी, भागलपुर (लोक सभा चुनाव 2014

विषय : अधिग्रहित वाहन संख्या BR 10 P 8832

BR 10 P 7831, BR 10 P 2031, BR 10 P 4494

एवं BR 10 P 2645 का अधिग्रहण है।

निम्नलिखित विधुक्ति की विधितक वातावरण

एवं वक्तों राशि के मुताबिक हेतु आदेश

M 3385

23.5.14

वाहन संख्या

22.5.14

BR 10 P 8832 = 29.3.14 के पूर्वक है 15/5/14

= कुल 48 दिन

(2) BR 10 P 7831 = 27.3.14 के पूर्वक 15/5/14 तक

= कुल 50 दिन

(3) BR 10 P 4494 = 04.4.14 है 15/5/14 तक

कुल 42 दिन

(4) BR 10 P 2031 = 44.14 के पूर्वक है 25/5/14 तक

कुल 20 दिन

(5) BR 10 P 2645 = 19.4.14 के पूर्वक है 25/5/14 तक

(6) BR 10 P 8836 = कुल 7 दिन

दिनांक 27/5/14 के पूर्वक है 18/5/14 तक

महाराज

उपरोक्त सभी वाहनों का अधिग्रहण

की विधि है विधुक्ति की विधि का एक धुक्की

आव प्रतिक्रिया एवं मूल प्रति जो भेजे है मान में है वही

होना है। उपरोक्त वाहनों की अधिग्रहण मुताबिक

राशि की बात कर शेष राशि की मुताबिक अपने

हिसा है करने की कृपा की जाय।

साथ में प्रांतीय उच्च न्यायालय के वर्ष 2012 के

आदेश की दृष्टि प्रति संज्ञा

वही निवेदन प्रकृत लक्ष्य प्रति पूर्वक

विचार कर मुताबिक हेतु आदेश देने की

कृपा की जाय।

श्री मान का पद

सुनील कुमार राय

दिनांक: 21/5/14

भागलपुर राय

आम डेप्युटी कमिश्नर
लोक सभा भागलपुर

लोक सभा आम निर्वाचन 2014

(जिला वाहन कोषांग)

पत्रांक. 544...../ जि0 वा0 को0 दिनांक 25/6/14

प्रेषित: श्री सुबोध कुमार राय

श्री भागवत राय

ग्राम- ईंगलिश फरका, सबौर, भागलपुर।

विषय: लोकसभा आम निर्वाचन 2014 के अवसर पर अधिगृहित वाहनों के मुआवजे का भुगतान करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयन्तर्गत सूचित करना हे कि लोकसभा आम निर्वाचन 2014 में आपकी गाड़ी इस जिला में अधिगृहित किया गया था। पुनः लोक सभा आम निर्वाचन 2014 को सम्पन्न कराने हेतु सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में दूसरे जिला को वाहन (हस्तान्तरण) भेजा गया था।

जिस जिला में वाहन भेजा गया उसी जिला में पुनः गाड़ी का लॉग बुक खोला गया तथा संबंधित जिला के द्वारा ही अग्रिम एवं मुआवजा का भुगतान किया जाना है। इस संदर्भ में प्रधान सचिव -सह- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के जापांक 1477 दिनांक 07.03.2014 से निर्गत लोकसभा आम निर्वाचन 2014 का मार्गदर्शिका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "किसी जिला में अधिगृहित वाहन को यदि दूसरे जिला में निर्वाचन कार्य से भेजा जाता है तो यथासंभव उक्तवाहन का पूर्ण रूपेण मुआवजा भुगतान करने के बाद उक्त जिला में जाने हेतु ईंधन की आपूर्ति करेंगे तथा उक्त जिला को प्रतिवेदन करते हुए विमुक्ति पत्र पर अंकित कर देंगे। पुनः नया जिला इसी प्रक्रिया को अपनायेंगे। यदि किसी कारणवश पूर्ण मुआवजा राशि का भुगतान विमुक्ति के समय संभव नहीं हो तो विमुक्ति प्रमाण पत्र पर वाहन उपयोग की गणना कर संपूर्ण राशि अंकित कर दिया जाए जैसा कि प्रपत्र II में दर्शाया गया है।"

साथ ही साथ सभी संबंधित जिला से निर्गत लॉग बुक पर स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कार्य समाप्ति के बाद पदाधिकारी वाहन तथा इससे संबंधित लॉग बुक अद्वतन प्रविष्ट के साथ वाहन कोषांग में अचूक रूप से जमा कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि मुआवजा का भुगतान किया जा सके। नहीं तो संपूर्ण जबाबदेही वाहन मालिक का होगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आपके द्वारा समर्पित मूल लॉग बुक को लौटाते हुए निदेश दिया जाता है कि जिस जिला से लॉग बुक निर्गत है, उसी जिला के वाहन कोषांग में लॉग बुक जमा कराना सुनिश्चित करें ताकि संबंधित गाड़ी का कुल मुआवजा का भुगतान उक्त जिला से आपको किया जा सके।

अनुलग्नक:

1. प्रधान सचिव -सह- राज्य परिवहन आयुक्त बिहार, पटना का मार्गदर्शिका का छायाप्रति संलग्न।
2. कुल 5 (पाँच) लॉग बुक मूल में।

नोडल पदाधिकारी जिला वाहन कोषांग
-सह-

जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर।

सेवा में,

श्रीमान् जिला निर्वाचन पदाधिकारी

सह

जिला पदाधिकारी, नालन्दा

नालन्दा जिला।

विषय:- गत लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 में अधिग्रहित वाहन (बस) संख्या बी आर 10पी-8832 की मूल लॉग बुक संख्या 9 के समर्पित करने एवं मुआवजा राशि भुगतान के संबंध में।

संदर्भ :- नोडल पदा०, जिला वाहन कोषांग-सह-जिला परि० पदा० भागलपुर के पत्र पत्रांक सं० 544, दिनांक 25.06.2014.

महाशय,

निवेदन है कि मेरी वाहन (बस) संख्या बी आर-10 पी 8832 बैठान क्षमता 41 को वाहन कोषांग, भागलपुर जिला द्वारा दिनांक 29.03.2014 को गत लोक सभा आम चुनाव वर्ष 2014 के चुनाव कार्य हेतु अधिग्रहित की गई थी। लॉग बुक संख्या 05 खोला गया और वाहन भागलपुर जिले में लगभग 7 (सात) दिन कार्यरत रही। तदुपरान्त वाहन केन्द्रीय पुलिस बल को सुपूर्द कर नवादा जिले में चुनाव कार्य हेतु भेजी गयी, जहाँ लॉग बुक संख्या 440 खोली गई और वाहन दिनांक 06.04.2014 से 11.4.2014 तक कार्यरत रही।

1. यह कि नवादा जिला द्वारा वाहन को नालन्दा जिला में चुनाव कार्य हेतु भेजा गया, जहाँ लॉग बुक संख्या 09 खोला गया, आपके जिला में वाहन दिनांक 12.04.2014 से 17.04.2014 तक कार्यरत रही। उक्त अवधि में भुगतान की गई अग्रिम राशि, इंधन आपूर्ति तथा वाहन की परिचालित दूरी उक्त लॉग बुक में जो अंकित की गई, वह निम्न प्रकार है:-

| <u>अधिग्रहित अवधि</u> | <u>इंधन आपूर्ति</u> | <u>अग्रिम राशि</u> | <u>परिचालित दूरी</u> |
|--------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 12.04.2014 से 17.04.2014 | 125 लीटर | रु० 9600/- | 634 कि०मी० |

2. यह है कि वाहन को विभिन्न जिलों में चुनाव कार्य हेतु भेजा गया, किशनगंज, मधेपुरा तथा मुजफ्फरपुर जिला में क्रमशः अवधि दि० 19.04.2014 से 24.04.2014, 25.04.2014 से 31.04.2014, 1.05.2014 से 12.05.2014 तक कार्यरत रही। वाहन पुनः केन्द्रीय पुलिस बल लेकर मुजफ्फरपुर से दानापुर दिनांक 14.05.2014 को गई और दानापुर से वाहन भागलपुर दिनांक 15.05.2014 को पहुंची और वाहन दिनांक 15.05.2014 को विमुक्त हुई।

3. यह कि वाहन विमुक्ति के उपरांत मैं वाहन संबंधि लॉग बुक जिला वाहन कोषांग भागलपुर में दिनांक 22.05.2014 को समर्पित किया जिसमें नालन्दा जिला का मूल लॉग बुक संख्या 9 भी सम्मिलित था।
4. यह कि जिला वाहन कोषांग, भागलपुर द्वारा पत्रांक 544 दिनांक 25.06.2014 से माध्यम से आपके जिला, (नालन्दा जिला) द्वारा निर्गत मूल लॉग बुक संख्या 09 को मुझे हाथो-हाथ सुपुर्द किया यह कहते हुए कि प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के पत्र ज्ञापांक 1477 दि० 07.03.2014 के मार्गदर्शन के अनुसार वापस किया जाता है कि आप संबंधित जिला का लॉग बुक उसी जिला में ही समर्पित करें। छायाप्रति संलग्न।लॉग बुक देखने के उपरांत पाया कि अन्दर का एक भी पेज ही नहीं है। इस पर मैं आपत्ति ऊठाई और लॉग बुक लेने से इंकार किया, क्योंकि मैं दिनांक 22.05.2014 को जब वाहन कोषांग, भागलपुर में समर्पित किया था, उस समय सभी कागजात मूल रूप में था। परन्तु वाहन कोषांग, भागलपुर के कार्यालय द्वारा जबरन मुझे वापस लौटाया गया, मजबूर होकर मैं उक्त लॉग बुक संख्या 09 प्राप्त किया। मूल लॉग बुक सं० 09 की मूल लॉग बुक प्रति की छायाप्रति के साथ संलग्न।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार श्रीमान् से अनुरोध है कि मैं इस आवेदन के साथ संलग्न मूल लॉग बुक की छाया प्रति के साथ निबंधित डाक द्वारा आपके कार्यालय में भेज रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार किया जाय और सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अधिग्रहित अवधि दिनांक 12.04.2014 से 17.04.2014 तक कुल मुआवजा राशि (भुगतान की गई अग्रिम राशि का समायोजन के उपरांत) का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मेरे निवास स्थान के पते पर भेजने का कष्ट करें। इस हेतु मैं श्रीमान् का सदा अनारी रहूंगा।

दिनांक : 01.09.2014

अनुलग्नक :- यथोक्त
 प्रतिलिपि-जिला निर्वाचन पदाधिकारी
 -सह-नोडल पदाधिकारी
 जिला वाहन कोषांक, भागलपुर।


आपका विश्वासभाजन,

सुबोध कुमार राय

(सुबोध कुमार राय)

ग्राम-इंगलिस फरका

पो०-सबौर, जिला-भागलपुर



सेवा में,

श्रीमान् जिला निर्वाचन पदाधिकारी

सह

जिला पदाधिकारी, जमुई

जिला जमुई।

विषय:- गत लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 में अधिग्रहित वाहन (मिनी बस) संख्या बी आर 10पी-2031 की मूल लॉग बुक संख्या 179/25 को मुआवजा राशि भुगतान हेतु समर्पित करने के संबंध में।

संदर्भ :- नोडल पदा०, जिला वाहन कोषांग-सह-जिला परि० पदा० भागलपुर के पत्र पत्रांक सं० 544, दिनांक 25.06.2014.

महाशय,

निवेदन है कि मेरी वाहन (मिनी बस) संख्या बी आर-10 पी- 2031 बैतान क्षमता 33 को जिला वाहन कोषांग, भागलपुर जिला द्वारा गत लोक सभा आम चुनाव वर्ष 2014 में चुनाव कार्य हेतु दिनांक 04.04.2014 को जो दिनांक 06.04.2014 तक रही और वाहन को केन्द्रीय पुलिस बल को सुपूर्द किया गया तदुपरांत वाहन आपके जिला वाहन कोषांग, जमुई जिला में चुनाव कार्य हेतु मेजी गई।

यह आपके जिला वाहन कोषांक द्वारा वाहन का लॉग बुक सं० 179/25 दिनांक 07.04.2014 को खोला गया तथा वाहन दिनांक 17.04.2014 तक कार्यरत रही। उक्त अवधि में भुगतान की गई अग्रिम, राशि इंधन की आपूर्ति तथा वाहन की परिचालित दूरी वाहन के लॉग बुक में अंकित की गई, जो निम्न प्रकार है :-

| अधिग्रहित अवधि | अग्रिम भुगतान की राशि | इंधन की आपूर्ति | परिचालित दूरी |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| 07.04.2014 सं 17.04.2014 | रु० 4000/- | 170 लीटर | 1026 कि०मी० |

1. यह कि आपके जिला द्वारा वाहन की विमुक्ति प्रमाण पत्र नहीं निर्गत किया गया। यह कि चुनाव कार्य सम्पन्न होने के उपरांत मैं दिनांक 22.05.2014 को वाहन संबंधित मूल लॉग बुक वाहन कोषांग भागलपुर में समर्पित किया। जिसमें आपके जिला द्वारा निर्गत मूल लॉग बुक सं० 179/25 भी सम्मिलित था।
2. यह कि जिला वाहन कोषांग, भागलपुर द्वारा पत्रांक सं० 544, दिनांक 25.06.2014 द्वारा आपके जिला द्वारा मूल लॉग बुक सं० 179/25 को मुझे वापस लौटाते हुए कहा गया कि जिस जिला द्वारा निर्गत लॉग बुक है, उसी संबंधित जिला में

भुगतान राशि के भुगतान हेतु समर्पित करें। छायाप्रति संलग्न।

3. यह कि मैं आपके जिला द्वारा निर्गत लॉग बुक सं0 179/25 की मूल प्रति इस आवेदन के साथ निबंधित लॉग बुक द्वारा भेज रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार किया जाय। लॉग बुक मूल प्रति संलग्न।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार श्रीमान् से अनुरोध है कि मैं इस आवेदन के साथ संलग्न मूल लॉग बुक की छाया प्रति के साथ निबंधित डाक द्वारा आपके कार्यालय में भेज रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार किया जाय और सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अधिग्रहित अवधि दिनांक 7.04.2014 से 17.04.2014 तक (11 दिन) कुल मुआवजा राशि (भुगतान की गई अग्रिम राशि का समायोजन के उपरांत) का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मेरे निवास स्थान के पते पर भेजने का कष्ट करें। इस हेतु मैं श्रीमान् का सदा अमारी रहूंगा।

दिनांक : 01.09.2014

अनुलग्नक :- यथोक्त

प्रतिलिपि—जिला निर्वाचन पदाधिकारी

-सह-नोडल पदाधिकारी

जिला वाहन कोषांक, भागलपुर।

आपका विश्वासभाजन,

सुबोध कुमार राय

(सुबोध कुमार राय)

ग्राम—इंगलिस फरका

पो0—सबौर, जिला—भागलपुर

भारतीय डाक

India Post

SP B. DEOGHAR (814112)

EJ 606674744 IN

Counter No:3, OP-Cheer:RAHU

To:ZILA NIRVACHAN PANA, ZILA PADADHIKARI

JAMUI, PIN:811307

From:SUBODH KUMAR RAI, KANAKPUR

wt:105grams.

Ant:39.00, 01/09/2014, 11:27

Taxes:Rs.4.66(EDD (If not a holiday) 100:00:00)

निबंधित

सेवा में,

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

-सह-

उप सचिव, केबिनेट (निर्वाचन) विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय: गत लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 में चुनाव कार्य हेतु अधिग्रहित वाहन (बस) संख्या-
बी.आर.-10पी.-8832 की अधिग्रहित अवधि दिनांक 29.03.2014 से 15.05.2014 तक
का मुआवजा राशि भुगतान करने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन है कि गत लोक सभा आम चुनाव वर्ष 2014 में जिला वाहन कोषांग, भागलपुर मेरी वाहन (बस) संख्या-बी.आर.-10पी.-8832 को दिनांक 29.03.2014 को चुनाव कार्य हेतु वाहन को केन्द्रिय बल को सुर्पुद किया गया तथा राज्य के विभिन्न जिलों में वाहन का चुनाव कार्य में उपयोग किया गया। सभी जिलों द्वारा वाहन का लॉगबुक खोलकर ईंधन की आपूर्ति एवं अग्रिम राशि का भुगतान किया गया। चुनाव कार्य सम्पन्न होने के उपरांत केन्द्रिय बल द्वारा दानापुर में दिनांक 14.05.2014 को वाहन मुक्त किया और वाहन दिनांक 15.05.2014 की रात्रि में भागलपुर पहुंची। दिनांक 22.05.2014 को जिला वाहन कोषांग, भागलपुर में जिला संबंधित सभी निर्गत लॉग बुको की मूल प्रति समर्पित की गई।

यह कि अधिग्रहित भागलपुर जिला द्वारा पत्रांक 544 दिनांक 25.06.2014 को नालन्दा जिला द्वारा निर्गत मूल लॉग बुक संख्या 9 मुझे हाथो-हाथ वापस किया गया यह कहते हुये कि परिवहन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 1477 दिनांक 07.03.2014 के मार्गदर्शन के अनुसार वाहन संबंधित नालन्दा जिला का लॉग बुक की मूल प्रति वापस किया जा रहा है। मूल लॉग बुक देखने के उपरांत मैंने जिला वाहन कोषांग भागलपुर से आपत्ति किया कि इस लॉगबुक के अंदर का एक पेज भी नहीं है, जबकि मैं दिनांक 22.05.2014 को सभी कागजात समर्पित किया था, परन्तु अधिकारियों द्वारा मुझे जबरन उक्त लॉग बुक संख्या 9 लेने पर मजबूर कर दिया।

यह कि मैं नालन्दा जिला द्वारा निर्गत लॉग बुक संख्या 9 की मूल प्रति भागलपुर जिला वाहन कोषांग के पत्रांक 544 दिनांक 25.06.2014 के आलोक में निबंधित डाक संख्या (EJ606674758IN) द्वारा दिनांक 01.09.2014 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, नालन्दा जिला को भेज दिया। साथ ही इसकी सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला वाहन कोषांग, भागलपुर को भी निबंधित डाक संख्या ;EJ606674700) द्वारा दिया है।

यह कि संबंधित जिलों द्वारा चुनाव कार्य में मेरी वाहन का उपयोग किया उसकी विवरणी निम्न प्रकार है:-

| जिला | लॉगबुक संख्या | अधिग्रहित अवधि | कुल दिन | अग्रिम भुगतान | राशि | ईंधन आपूर्ति | तय दुरी |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------|---------------|---------|--------------|---------|
| भागलपुर | 05 | 29.03.2014 से 04.04.2014 | 7 | रू0-8000/- | - | - | - |
| नवादा | 440 | 06.04.2014 से 11.04.2014 | 6 | रू0-6000/- | 85 ली0 | 285 कि.मी. | |
| नालन्दा | 9 | 12.04.2014 से 17.04.2014 | 6 | रू0-9600/- | 125 ली0 | 634 कि.मी. | |
| किशनगंज | 804 | 19.04.2014 से 24.04.2014 | 6 | रू0-10000/- | 140 ली0 | 97 कि.मी. | |
| मधेपुरा | 10/4 | 25.04.2014 से 01.05.2014 | 7 | रू0-12000/- | 60 ली0 | 620 कि.मी. | |
| मुजफ्फरपुर (औराई) | 02/14 | 01.05.2014 से 08.05.2014 | 8 | रू0-9600/- | 160 ली0 | 410 कि.मी. | |
| मुजफ्फरपुर (साहेबगंज) | 15/3 | 08.05.2014 से 13.05.2014 | 5 | रू0-8000/- | 160 ली0 | 465 कि.मी. | |

यह कि उपर्युक्त विवरणी के अनुसार 45 दिन जिलों में वाहन चुनाव कार्य में कार्यरत रही, परन्तु बीच में वाहन को एक जिला से दूसरे जिला में जाने में जो समय लगा उसे लॉगबुक में संबंधित जिला द्वारा अंकित नहीं किया गया, जबकि वाहन चुनाव कार्य में कार्यरत रही और सरकार का दायित्व है कि उस अवधि का भी भुगतान करना है। साथ ही मुजफ्फरपुर, साहेबगंज द्वारा दिनांक 13.05.2014 को रात्रि में छोड़ा गया जो दिनांक 14.05.2014 को केन्द्रिय बल द्वारा दानापुर रेलवे स्टेशन पर वाहन को छोड़ा गया जहाँ दानापुर से भागलपुर दिनांक 15.05.2014 को पहुंची। यानि वाहन दिनांक 29.03.2014 से 15.05.2014 तक चुनाव कार्य में कार्यरत रही, कुल 48 दिन वाहन चुनाव कार्य में कार्यरत रही, इसलिए वाहन का मुआवजा 48 दिनों का राशि भुगतये है।

यह कि उपरोक्त जिलों द्वारा अग्रिम राशि के मद में कुल रू0 63200/- (तिरसठ हजार दो सौ रूपया) मात्र का भुगतान किया गया एवं ईंधन आपूर्ति कुल 730 लीटर की गई, जबकि वाहन का कुल परिचालन कुल 49 दिनों में 2511 किलोमीटर दूरी तय की गई।

यह कि सरकार द्वारा निर्धारण किया गया है कि एक लीटर ईंधन में तीन किलोमीटर की दूरी तय की जायेगी। वर्तमान मामले में वाहन को कुल 730 लीटर ईंधन आपूर्ति की गई, जिसपर मात्र 2190 किलोमीटर दूरी तय की जा सकती है, जबकि 321 किलोमीटर अधिक दूरी तय की गई। इस 321 किलोमीटर दूरी में खपत किये गये ईंधन की राशि भी वांछनीय है।

यह कि वाहन का चुनाव कार्य में 49 दिनों (दिनांक 29.03.2014 से 15.05.2014) तक का मुआवजा राशि सरकार द्वारा निर्धारित दर 2000/-रु० प्रतिदिन (प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक संख्या 1643 दिनांक 14.03.2014 के अनुसार) कुल राशि 98000/- (अन्ठानवे हजार रूपया) होता है जिसमें भुगतान की गई अग्रिम कुल राशि 63200/- (तिरसठ हजार दो सौ रूपया) मात्र समायोजन के उपरांत कुल बकाया राशि 34800/- (चौतीस हजार आठ सौ) रूपया का भुगतान होना है ।

यह कि माननीय पटना उच्च न्यायालय की याचिका संख्या 10302/2006 एवं याचिका संख्या 12540/2008 में पारित आदेश दिनांक क्रमशः 11.05.2009 एवं 17.08.2009 में यह नियमन दिया है कि चुनाव कार्य हेतु जो भी जिला द्वारा वाहन अधिग्रहित किया गया और वाहन की विमुक्ति के उपरान्त उक्त अधिग्रहित अवधि के मुआवजा राशि का भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार वाहन स्वामी को अधिग्रहित जिला द्वारा पूर्ण भुगतान करना है । एक अन्य याचिका संख्या 13812/2012 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2012 में यह निर्णय है कि अधिग्रहित जिला का यह दायित्व है कि वाहन के मुआवजा राशि का भुगतान वाहन स्वामी को अतिशीघ्र करावे । इसलिए माननीय न्यायालय के उक्त न्याय निर्णय के अनुसार मेरे वाहन के मुआवजा राशि का भुगतान अधिग्रहित जिला भागलपुर को ही करना है ।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरी वाहन (बस) संख्या-बी.आर.-10पी.-8832 का चुनाव कार्य में उपयोग किये गये अवधि दिनांक 29.03.2014 से 15.05.2014 तक यानि कुल 49 दिन का मुआवजा राशि का भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अग्रिम कुल राशि 63200/- (तिरसठ हजार दो सौ रूपया) मात्र का समायोजन के उपरांत कुल बकाया राशि 34,800/- (चौतीस हजार आठ सौ) रूपया का भुगतान हेतु संबंधित जिला को निर्देश देने की कृपा की जाय, अन्यथा मुझे बाध्य होकर उक्त बकाये राशि विलम्ब राशि के साथ भुगतान हेतु न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा ।

दिनांक :- 1.10.2014.

आपका विश्वासी
सुबोध कुमार २।५

(सुबोध कुमार राय)

इंगलीश फरक्का,

पो0+था0- सब्बौर, जिला- भागलपुर ।

प्रतिलिपि: जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिलाधिकारी, भागलपुर/नवादा/नालन्दा/किशनगंज/
मधेपुरा/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।



<Duplicate 2> <800001>
 A RF024369740IN
 Counter No:1, OP-Code:02
 To: UP KUKHAY NIWACHAN, PADHIKARI UP SAC
 Patna Sectt. S.O, PIN:800015
 From: SUBHODH KUMAR RAI, PATNA
 Wt:65grams,
 Amt:37.00, 01/10/2014, 14:54
 <<Track on www.indiapost.gov.in>>



RL NITHAPUR <800001>
 A RF024369753I
 Counter No:1, OP-Code:02
 To: THE D ELEC OFFICER, CUM D M
 Bhagalpur H.O, PIN:812001
 From: SUBHODH KUMAR RAI, PATNA
 Wt:65grams,
 Amt:37.00, 01/10/2014, 14:55
 <<Track on www.indiapost.gov.in>>



RL NITHAPUR <800001>
 A RF024369753I
 Counter No:1, OP-Code:01
 To: THE D ELEC OFFICER,
 Bhagalpur H.O, PIN:812001
 From: SUBHODH KUMAR RAI, PATNA
 Wt:65grams,
 Amt:37.00, 01/10/2014, 14:55
 <<Track on www.indiapost.gov.in>>



RL NITHAPUR <800001>
 A RF024369753I
 Counter No:1, OP-Code:01
 To: THE D ELEC OFFICER,
 Bhagalpur H.O, PIN:812001
 From: SUBHODH KUMAR RAI, PATNA
 Wt:65grams,
 Amt:37.00, 01/10/2014, 14:55
 <<Track on www.indiapost.gov.in>>



RL NITHAPUR <800001>
 A RF02436976
 Counter No:1, OP-Code:
 To: THE DIST ELEC OFFICE,
 Madhepura S.O, PIN:852113
 From: SUBHODH KUMAR RAI, PATNA
 Wt:35grams,
 Amt:27.00, 01/10/2014, 14:58
 <<Track on www.indiapost.gov.in>>



RL NITHAPUR <800001>
 A RF024369753I
 Counter No:1, OP-Code:01
 To: THE DIST ELEC OFFICE,
 Madhepura S.O, PIN:852113
 From: SUBHODH KUMAR RAI, PATNA
 Wt:35grams,
 Amt:27.00, 01/10/2014, 14:58
 <<Track on www.indiapost.gov.in>>



<Duplicate 3> 00001>
 A RF02436952
 Counter No:1, OP-Code:
 To: THE DIST ELEC OFFICE, CUM D M
 Muzaffarpur H.O, PIN:842001
 From: SUBHODH KUMAR RAI, PATNA
 Wt:35grams,
 Amt:27.00, 01/10/2014, 14:56
 <<Track on www.indiapost.gov.in>>

निबंधित

सेवा में,

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

-सह-

उप सचिव, केबिनेट (निर्वाचन) विभाग,

बिहार, पटना ।

विषय: गत लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 में चुनाव कार्य हेतु अधिग्रहित वाहन (बस) संख्या- बी.आर.-10पी.-2031 की अधिग्रहित अवधि दिनांक 04.04.2014 से 25.04.2014 तक का मुआवजा राशि भुगतान करने के संबंध में।

महाराज,

निवेदन है कि गत लोक सभा आम चुनाव वर्ष 2014 में जिला वाहन कोषांग, भागलपुर मेरी वाहन (बस) संख्या-बी.आर.-10पी.-2031 को चुनाव कार्य हेतु दिनांक 04.04.2014 को अधिग्रहित की गई । वाहन को केन्द्रिय बल को सुपुर्द कर राज्य के अन्य जिलों में वाहन का चुनाव कार्य में उपयोग किया गया। सभी जिलों द्वारा वाहन का लॉगबुक खोलकर ईंधन की आपूर्ति एवं अग्रिम राशि का भुगतान किया गया । वाहन की विमुक्ति दिनांक 25.04.2014 को की गई । चुनाव सम्पन्न होन पर दिनांक 22.05.2014 को वाहन का सभी निर्गत लॉग बुकों की मूल प्रति जिला वाहन कोषांग, भागलपुर को समर्पित की गई ।

यह कि जिला वाहन कोषांग, भागलपुर द्वारा पत्रांक 544 दिनांक 25.06.2014 को जमुई जिला द्वारा निर्गत मूल लॉग बुक संख्या 179/25 मुझे हाथो-हाथ वापस किया गया यह कहते हुये कि परिवहन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 1477 दिनांक 07.03.2014 के मार्गदर्शन के अनुसार वाहन संबंधित जमुई जिला का लॉग बुक की मूल प्रति वापस किया जा रहा है ।

यह कि मैं जमुई जिला द्वारा निर्गत लॉग बुक संख्या 179/25 की मूल प्रति भागलपुर जिला वाहन कोषांग के उक्त पत्र दिनांक 25.06.2014 के आलोक में निबंधित डाक संख्या (EJ606674744IN) द्वारा दिनांक 01.09.2014 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, जमुई जिला को भेज दिया । साथ ही इसकी एक प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला वाहन कोषांग, भागलपुर को भी सूचनार्थ हेतु भेजी गयी ।

यह कि संबंधित जिलों द्वारा चुनाव कार्य में मेरी वाहन का उपयोग किया उसकी विवरणी निम्न प्रकार है:-

| जिला | लॉगबुक संख्या | अधिग्रहित अवधि | कुल दिन | अग्रिम भुगतान | राशि | ईंधन आपूर्ति | तय दुरी |
|---------|---------------|--------------------------|---------|---------------|---------|--------------|---------|
| भागलपुर | - | 04.04.2014 से 05.04.2014 | 2 | रु०-1500/- | - | - | - |
| जमुई | 179/25 | 07.04.2014 से 17.04.2014 | 11 | रु०-4,000/- | 170 ली० | 1026 कि.मी. | |
| भागलपुर | 58/18 | 18.04.2014 से 25.04.2014 | 8 | रु०-6,000/- | 90 ली० | 420 कि.मी. | |

यह कि वाहन भागलपुर जिला में दिनांक 04.04.2014 से 05.04.2014 तक कार्यरत रही ऐसा लॉग बुक में अंकित है, जबकि जमुई जिला में वाहन दिनांक 07.04.2014 से 17.04.2014 तक कार्यरत रही। यानि कि वाहन भागलपुर में 04.04.2014 से 06.04.2014 तक रही ।

यह कि उपरोक्त जिलों द्वारा अग्रिम राशि के मद में कुल ₹0 11,500/- (ग्यारह हजार पांच सौ रूपया) मात्र का भुगतान किया गया एवं ईंधन आपूर्ति कुल 260 लीटर की गई, जबकि वाहन का कुल परिचालन कुल 22 दिनों में 1446 किलोमीटर दूरी तय की गई ।

यह कि सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि एक लीटर ईंधन में तीन किलोमीटर की दूरी तय की जायेगी । वर्तमान मामले में 260 लीटर ईंधन में मात्र 780 किलोमीटर दूरी तय की जा सकती है, जबकि 666 किलोमीटर अधिक दूरी तय की गई । इसलिए 666 किलोमीटर दूरी में खपत किये गये ईंधन की राशि भी वांछनीय है ।

यह कि संदर्भित वाहन का चुनाव मुआवजा राशि सरकार द्वारा निर्धारित नयी दर (परिवहन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक संख्या 1643 दिनांक 14.03.2014 के अनुसार) 1500/-₹0 प्रतिदिन तय की गई है यानि अधिग्रहित अवधि दिनांक 04.04.2014 से 25.04.2014 तक यानि कुल 22 दिन का मुआवजा राशि कुल राशि 33,000/- (तीस हजार रूपया) होती है, परन्तु विभिन्न जिलों द्वारा अग्रिम कुल राशि 11,500/- (ग्यारह हजार पांच सौ) भुगतान की गई है, उस राशि को समायोजन करने के उपरांत 21,500/- (एककीस हजार पांच सौ) रूपया का भुगतान होना है ।

यह कि माननीय पटना उच्च न्यायालय की याचिका संख्या 10302/2006 एवं याचिका संसख्या 12540/2008 में पारित आदेश दिनांक क्रमशः 11.05.2009 एवं 17.08.2009 में यह नियमन दिया है कि चुनाव कार्य हेतु जो भी जिला द्वारा वाहन अधिग्रहित किया गया और वाहन की विमुक्ति के उपरान्त उक्त अधिग्रहित अवधि के मुआवजा राशि का भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार वाहन स्वामी को अधिग्रहित जिला द्वारा पूर्ण भुगतान करना है । एक अन्य याचिका संख्या 13812/2012 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2012 में यह निर्णय है कि अधिग्रहित जिला का यह दायित्व है कि वाहन के मुआवजा राशि का भुगतान वाहन स्वामी को अतिशीघ्र करावे । इसलिए माननीय न्यायालय के उक्त न्याय निर्णय के अनुसार मेरे वाहन के मुआवजा राशि का भुगतान अधिग्रहित जिला भागलपुर को ही करना है ।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरी वाहन (बस) संख्या-बी.आर.-10पी.-2031 का चुनाव कार्य में उपयोग किये गये अवधि दिनांक 04.04.2014 से 25.04.2014 तक यानि कुल 22 दिन का मुआवजा राशि का भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अग्रिम कुल राशि 11,500/- (ग्यारह हजार पांच सौ) का समायोजन के उपरांत कुल बकाया राशि 21,500/- (एककीस हजार पांच सौ) रूपया का भुगतान हेतु संबंधित जिला को निर्देश देने की कृपा की जाय, अन्यथा मुझे बाध्य होकर उक्त बकाये राशि विलम्ब राशि के साथ भुगतान हेतु न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा ।

दिनांक :- 1.10.2014.

आपका विश्वासी
सुबोध कुमार राय
(सुबोध कुमार राय)

इंगलीश फरक्का,

पो+था0- सब्बौर, जिला- भागलपुर ।

प्रतिलिपि: जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिलाधिकारी, भागलपुर/जमुई को सूचनार्थ प्रेषित ।

भारतीय डाक



<Duplicate 2> <800001>
A RF024369740IN
Counter No:1, OP-Code:02
To:UP KUKHAY NIWACHAN, PADHIKARI UP SAC
Patna Sectt. S.O, PIN:800015
From:SUBHODH KUMAR RAI , PATNA
Wt:65grams,
Amt:37.99 , 01/10/2014 , 14:54
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक



RL NITHAPUR <800001>
A RF024369753IN
Counter No:1, OP-Code:02
To:THE D ELEC OFFICER, CUN D W
Bhagalpur H.O, PIN:812001
From:SUBHODH KUMAR RAI , PATNA
Wt:65grams,
Amt:37.00 , 01/10/2014 , 14:55
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक



RL NITHAPUR <800001>
A RF024369753IN
Counter No:1, OP-Code:02
To:THE D ELEC OFFICER, CUN D W
Bhagalpur H.O, PIN:812001
From:SUBHODH KUMAR RAI , PATNA
Wt:65grams,
Amt:37.00 , 01/10/2014 , 14:55
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

1008
3007

लौग बुक नं० - 9

Central Police Post, Hingoli.

नालन्दा जिला

लोक सभा चुनाव 2014

ePMF

809/D

अधिगृहित मोटर वाहनों

का

लौग बुक

2014

Handwritten signatures and initials:
R. ...
N. ...
12/04/14

वाहन सं०-BR10P/8832 प्रकार Bus 40

नोट :- पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण तालिका सही ढंग से भरें।